न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं0 154/2009 तारीख रजू:– 28.07.2009

पीठासीन अधिकारी :– हेमराज गुर्जर (R.A.S.)

1. फूसिया पुत्र हटीला
2. उदयसिंह पुत्र भीम
3. राजवीर पुत्र भीम
4. विक्रम पुत्र भीम
5. बच्चूसिंह पुत्र भीम
6. आशा पुत्री भीम
7. दुलारी बेवा पत्नि भीम

जाति जाटव निवासी आरेनी का पुरा तन जटनंगला तहसील हिण्डौन जिला करौली राजस्थान ——— वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील हिण्डौन सिटी
2. फूलवती पत्नि हरिसिंह जाति जाटव निवासी आरेनी का पुरा तन जटनंगला तहसील हिण्डौन सिटी जिला करौली ———प्रतिवादीगण

दावा बाबत इन्द्राज दुरूस्ती एवं घोषणा खातेदारी व तकास्मा

उपस्थित :– 1. श्री शान्ति लाल करसौलिया एडवोकेट वादीगण
2. श्री अशोक नीमनका एडवोकेट प्रतिवादी नं0 2

निर्णय

दिनांक :–24.02.2026

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादीगण ने दावा बाबत इन्द्राज दुरूस्ती एवं घोषणा खातेदारी व तकास्मा पेश कर वाद पत्र के मद नं01 में दर्ज किया है कि आराजीयात पुरानी खसरा नं0 377 रकबा 5 बीघा 15 विस्वा, 380 रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा, 390 रकबा 2 बीघा कुल रकबा 10 बीघा 4 बिस्वा

वाके ग्राम जटनंगला तहसील हिण्डौन के हार में वादीगण के पूर्वजों की कब्जा काश्त एवं खातेदारी की भूमि है।

वाद पत्र के मद नं02 में दर्ज किया है कि उपरोक्त आराजीयात पुराने खसरा नम्बर 380 रकबा 2 बीघा 9 विस्वा के सेटिलमेन्ट विभाग द्वारा नये खतरा नम्बर 901 रकवा 0.02, 902 रकबा 0.02, 903 रकवा 0.03, 904 रकबा 0.03, 905 रकवा 0.43 कुल किता 5 कुल रकबा 0.53 ऐयर वादीगण की रेवन्यू रिकार्ड में खातेदारी दर्ज की है जिसमें वादीगण नं. 2 लगायत 7 का 1/2 हिस्सा है तथा प्रतिवादी नं.1 को 21.5 ऐयर का विक्रय वादीगण नं 1 ने कर दिया है बाकी 4 ऐयर भूमि का वादीगण नं. 1 हिस्सेदार है।

वाद पत्र के मद नं03 में दर्ज किया है कि वादीगण की उपरोक्त आराजीयात मद नं 1 में वर्णित में खातेदारी की भूमि में से 8 ऐयर भूमि का रेवन्यू रिकार्ड में इन्द्राज नहीं किया है जबकि मौके पर वादीगण व प्रतिवादीगण के कब्जे काश्त में 61 ऐयर भूमि है इस प्रकार वादीगण अपन कब्जे काश्त की भूमि 8 ऐयर का रेवन्यू रिकार्ड मैं वादीगण को खातेदारी की घोषणा की जाकर इन्द्राज किया जावे।

वाद पत्र के मद नं04 में दर्ज किया है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण को मौके पर बाहमी बंटवारा नहीं किया गया है तथा अपनी कब्जे के आधार पर कब्जा काश्त करते चले आ रहे है। प्रतिवादी नं.1 की भूमि 21.5 ऐयर के अलावा और भूमि पर कब्जाकर रखा है । वादीगण ने उपरोक्त भूमि का बंटवारा करने के लिए प्रतिवादी संख्या 1 से कहा तो प्रतिवादीगण उक्त आराजीयात का बंटवारा करने को तैयार नहीं है।

वाद पत्र के मद नं05 में दर्ज किया है कि वादीगण दिनांक 11.07. 2009 को प्रतिवादी नं. 1 व 2 ने उपरोक्त भूमि का बंटवारा एवं रेवन्यू रिकार्ड मैं मौके की स्थिति के अनुसार 8 ऐयर भूमि की खातेदारी में दुरूस्त करने को कहा तो उन्होंने साफ इंकार कर दिया रेवन्यू रिकार्ड में इन्द्राज नहीं किया जिससे वादीगण को अपूर्तनीय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी प्रकार से संभव नही है।

वाद पत्र के मद नं06 में दर्ज किया है कि विनाय दावा बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण दिनांक 11.07.2009 को वाद पत्र के मद नम्बर 1,2 की भूमि का रेवन्यू रिकार्ड में 8 ऐयर भूमि इन्द्राज पुराने रिकार्ड के अनुसार कराने एवं बंटवारा करने से साफ इंकार करने से बमुकाम जटनगला तह. हिण्डौन सिटी उत्पन्न हुई। दावा हाजा अन्दर म्याद पेश है।

वाद पत्र के मद नं07 में दर्ज किया है कि बलिहाज पैदा होने विनाय दावा सकूनत फरीकेन व वादग्रस्त आराजीयात स्थित ग्राम जटनंगला तह. हिण्डौनसिटी होने से एवं विवादग्रत्त भूमि कृषि लगानी होने से दावा हाजा की तमाजत का अधिकार क्षेत्र माननीय अदालत हाजा को प्राप्त है।

वाद पत्र के मद नं08 में दर्ज किया है कि दावा धारा 188, 53 राजस्थान काश्तकारी अधि. के तहत पेश किया जा रहा है जिस पर निश्चित कोर्ट फीत अदा की गयी है।

वाद पत्र के मद नं09 अ में दर्ज किया है कि दावा वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण इस प्रकार डिक्री फरमाया जावे कि वादीगण के पुराने खसरा नम्बर 380 रकवा 2 बीघा 9 विस्वा नये खसरा नम्बर मद नं. 2 मैं वर्णित में 8 ऐयर भूमि रेवन्यू रिकार्ड मैं कम इन्द्राज की गई है जिससे प्रतिवादी नं. 1 दुरुस्ती कर वादीगण व प्रतिवादी नं.1 के रेवन्यू रिकार्ड में मौके के नाम का सीमा ज्ञान कर एवं पुराने खतरा नम्बर के रेवन्यू रिकार्ड मैं 8 ऐयर भूमि वादीगण के नाम इन्द्राज की जाकर वादीगण के नाम घोषणा खातेदारी की डिक्री फरमाई जावे।

वाद पत्र के मद नं09 ब में दर्ज किया है कि वादीगण तकास्मा आराजीयात खिलाक प्रतिवादीगण इस अम्र की डिक्री किया जाये कि पुराना खसरा नम्बर 380 रकवा 2 बीघा 9 विसवा के नये खसरा नम्बर के हिस्सा स्थित जटनंगला बावत प्रीलीमिनरी डिक्री कर तहसीलदार को मौके पर भेजा जाकर विधिवत बंटवारा करवाया बाद रिर्पोट कमिश्नर दावा फाईनल डिक्री किया जावे तथा वादीगण के हिस्से मैं अलग डौलमेढ से महदूद किया जावे अलग नम्बर व अलग भेज कायम की जाये।

वाद पत्र के मद नं09 स में दर्ज किया है कि खर्चा मूकदमा वादीगण को प्रतिवादीगण से दिलाया जावे तथा अन्य कोई दीगर दादरसी जो करीने इन्साफ बहक वादीगण साबित हो वह भी अता फरमायी जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। दिनांक 03.09.2009 को प्रतिवादी सं0 2 की ओर से श्री अशोक नीमनका ने बकालतनामा एवं जबाव पेश किया तथा प्रतिवादी नं0 1 ने दिनांक 22.10.2009 उपस्थित होकर जबाव प्रस्तुत किया।

प्रतिवादी नं0 2 ने दिनांक 03.09.2009 को जबावदावा पेश कर जबावदावा के मद नं01 में दर्ज किया है कि मद नं01 वाद पत्र जिस प्रकार तहरीर किया गया है, स्वीकार नहीं है।

जबावदावा के मद नं02 में दर्ज किया है कि मद नं02 वाद पत्र गलत है, अस्वीकार है। प्रतिवादी नं02 द्वारा आराजी मौजूदा ख0नं0 905 रकबा 43 ऐअर का 1/2 भाग दिनांक 08.09.0224 को बिल एवज 55255/–रूपया में वादी सं01 से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र खरीद कर मौके पर कब्जा प्राप्त किया है, उक्त खेत की मौके पर सेटिलमेन्ट से पूर्व से ही डोल मेंड हो रही है। जिसके आधार पर खेत को मौके पर 1/2 भाग तरफ उत्तर बाहमी तकास्मा कर प्रतिवादी नं02 का कब्जा काश्त है। अन्य आराजीयात का कोई विवाद नहीं है। इस मद में यह तथ्य हास्यास्पद अंकित किया है कि प्रतिवादी नं02 को 21.5 एयर का विक्रय किया है और बाकी 4 एयर भूमि का वादी सं01 हिस्सेदार है। यह तथ्य किस आधार पर लिखा है। सम्भवतः स्वंय वादीगण को भी इल्म नहीं है।

जबावदावा के मद नं03 में दर्ज किया है कि मद नं03 वाद पत्र गलत है, अस्वीकार है। इस मद में कोई तथ्य स्पष्ट नहीं है। इसलिए जबाव सम्भव नहीं है।

जबावदावा के मद नं04 में दर्ज किया है कि मद नं04 वाद पत्र गलत है, अस्वीकार है। प्रतिवादी सं01 की 21.5 एयर भूमि होने का प्रश्न ही नहीं होता, और ना ही प्रतिवादी नं01 का मौके पर कब्जा काश्त है। प्रतिवादी सं01

से तकास्मा कराने का कहना भी संभव नहीं है। इस प्रकार इस मद में सभी तथ्य गलत अंकित कराये हैं।

जबावदावा के मद नं05 में दर्ज किया है कि मद नं05 वाद पत्र गलत है, अस्वीकार है। तथाकथित बाका दिनांक 11.07.2009 गलत है, मनगढन्त है। वादीगण को प्रतिवादीगण के खिलाफ कोई बिनाय दावा उत्पन्न नहीं होता है।

जबावदावा के मद नं06 में दर्ज किया है कि मद नं06 वाद पत्र गलत है, अस्वीकार है। दावा मियाद बाहर होने के फलस्वरूप खारिज फरमाये जाने योग्य है।

जबावदावा के मद नं07 में दर्ज किया है कि मद नं07 वाद पत्र कानूनी है। कोई उजर नहीं है।

जबावदावा के मद नं08 में दर्ज किया है कि मद नं08 वाद पत्र गलत है, अस्वीकार है।मुकदमे के शीर्ष पर धारा 188 आर.टी. एक्ट की कोई रिलीफ नहीं चाही है। इस बिना पर दावा चलने योग्य नहीं है।

जबावदावा के मद नं09 में दर्ज किया है कि मद नं09 अ,ब,स, वाद पत्र गलत है, अस्वीकार है। इन मदों में चाही गयी कोई भी रिलीफ वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण से पाने के अधिकारी नही है।

विशेष कथन :–

जबावदावा के मद नं010 में दर्ज किया है कि आराजी खं0 नं0 905 रकबा 43 एयर जो मौके पर डोल मेंड से महदूद है का 1/2 भाग प्रतिवादी नं02 ने वादी सं01 से तरफ पूर्व दिनांक 08.09.2004 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र बिल एवज 55255/–रूपया में खरीद कर पूरे खेत में आधा खेत तरफ उत्तर बाहमी तकास्मा के आधार पर बंटवारा कर मौके पर कब्जा काश्त प्रतिवादी सं02 है, जिससे वादीगण का कोईसम्बन्ध किसी प्रकार का नहीं है। आराजी खसरा नम्बर 905 के अपने सम्पूर्ण हिस्से को वादीगण सं01 विक्रय कर चुका है और ना

ही उसका अब इस खेत की खातेदारी में रेवेन्यू रिकार्ड में हिस्सा दर्ज है, इस बिना पर वह इस आराजी बाबत् कोई वाद प्रस्तुत करने का हकदार नहीं है।

जबावदावा के मद नं011 में दर्ज किया है कि आराजी खसरा नम्बर 905 के चारों ओर वादीगण का अन्य खेत नहीं है ऐसी सूरत में इस आराजी के रकबे के घटने बढने का कोई प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। इस खेत के चारो ओर प्रति0 नं0 2 व उसके परिवारजनों के खेत है। इस प्रकार वादीगण द्वारा वाद में वर्णित तथ्य किसी भी प्रकार साबित होना संभव नहीं है। अतः जवाब दावा पेश कर अर्ज है कि दावा मय खर्चा खारिज फरमाने का निवेदन किया है।

प्रतिवादी नं0 1 की ओर से पेरोकार सरकार नायबतहसीलदार हिण्डौन जबावदावा पेश कर जबावदावा के मद नं01 में दर्ज किया है कि बिन्दू सं0 1 वादी स्वयं सिद्ध करें। पत्रावली प्रस्तुत रिकॉर्ड के अनुसार वाद पत्र में अंकित भूमि टुण्डा पुत्र घूडे जाति चमार नि0 ग्राम जटनंगला के संवत 2033 से 36 जमाबन्दी में दर्ज रिकॉर्ड थी। वादीगण के इनसे क्या रिश्ता था वाद पत्र में अंकित नहीं है। सजरा भी अंकित नहीं इसलिए बिन्दू सं0 1 स्वीकार नहीं है।

जबावदावा के मद नं02 में दर्ज किया है कि बिन्दु सं0 2 मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी संवत 2064–67 के अनुसार आंशिक स्वीकार है। शेष इवादत व विक्रय का कोई रिकॉर्ड पत्रावली पर नहीं है। इस स्वीकार नहीं है।

जबावदावा के मद नं03 में दर्ज किया है कि बिन्दु सं0 3 में तथ्य स्पष्ट नहीं है इसलिए अस्वीकार है।

जबावदावा के मद नं04 में दर्ज किया है कि बिन्दु सं0 4 प्रतिवादी नं0 1 राजस्थान सरकार से संबंधित नहीं है।

जबावदावा के मद नं05 में दर्ज किया है कि बिन्दू सं0 5 स्वीकार नहीं है। इस बिन्दु में तथ्य स्पष्ट नहीं है।

जबावदावा के मद नं06 में दर्ज किया है कि बिन्दु सं0 6 स्वीकार नहीं है। बाका दिनांक 11.07.2009 वादी स्वयं सिद्ध करें बटवारा सहखातेदार आपस में करेगे। 8 ऐयर भूमि किस नम्बर से कम करके लेना चाहते है। वाद

पत्र में स्पष्ट नहीं है कि भू प्रबन्ध की कार्यवाही को हुए 20 वर्ष हो चुके है। कोई दुरूस्ती चाहते है तो समय पर दावा लाना चाहिए। यह दावा मियाद बाहर तथा काबिले खारिज है।

जबावदावा के मद नं07 में दर्ज किया है कि बिन्दु सं0 7 स्वीकार है।

जबावदावा के मद नं08 में दर्ज किया है कि बिन्दु सं0 8 कानूनी है तथा गौर ए श्रीमान है।

जबावदावा के मद नं09 अ में दर्ज किया है कि बिन्दु सं0 9 (अ) स्वीकार नहीं है। 08 एयर भूमि किस खसरा नम्बर से चाहते हैं स्पष्ट नहीं है। यदि रकबा 8 एयर वेशी किया जाता है सम्पूर्ण ग्राम का रकबा बढ जाता है तथा किस खसरा नम्बर में वेशी चाहते हैं स्पष्ट नही है।

जबावदावा के मद नं09 ब में दर्ज किया है कि बिन्दू सं0 9ब स्वीकार है। यदि न्यायालय आदेश करता है तो नियमानुसार मौके की कार्यवाही की जावेगी।

जबावदावा के मद नं09 स में दर्ज किया है कि बिन्दू सं0 9 स स्वीकार नहीं है।

अतिरिक्त जबाव :–

वादीगण रिकॉर्ड के अनुसार बंटवारा कराने का हकदार नहीं है। लेकिन 8 एयर भूमि वेशी नहीं की कजा सकती है। वाद पत्र में कही भी स्पष्ट नही किया है कि 8 एयर भूमि किस नंबर से कम हो कर किस नम्बर में बढाई जावेगी। यह कार्यवाही भूप्रबन्ध के दौरान जब कच्चे व पक्के लगानी पर्चे बांटे गये थे इसी समय करनी चाहिए थी। यह बिन्दु नियम बाहर है।

दावा एवं जबावदावा के आधार पर प्रकरण में निम्नलिखित तनकीयात कायम की गईः–

उपरोक्त उनवानी प्रकरण में दिनांक 22.04.2022 को जबाबदावा प्रतिवादी संख्या 1 ने पेश कर जबावदावा के मद नं01 में दर्ज किया है कि मद संख्या 1 स्वीकार है पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2033–36 खाता संख्या 44 पर अंकित खसरा नंबर वादीगण के पूर्वजो की दर्ज खातेदारी है।

जबावदावा के मद नं02 में दर्ज किया है कि मद संख्या 2 इस हद तक स्वीकार है कि साबिक खसरा नं. 380 के हाल खसरा नं. 901, 902, 903, 904, 905 मुताबिक संलग्न मिलान क्षेत्रफल बनें है।

जबावदावा के मद नं03, 4, 5 में दर्ज किया है कि मद संख्या 3, 4, 5 अस्वीकार है।

जबावदावा के मद नं0 6, 7, 8 में दर्ज किया है कि मद संख्या 6, 7, 8, 9 कानूनी है।

जबावदावा के मद नं09 में दर्ज किया है कि मद संख्या 9 (अ,ब,स) कानूनी है।

विविध तथ्य :– यह कि वादीगण द्वारा दावा बाबत इन्द्राज दुरुस्ती एवं घोषणा खातेदारी माननीय न्यायालय में इस आशय से प्रस्तुत किया है कि वाके ग्राम जटनगला स्थित साबिक खसरा नं. 380 खसरा रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा के हाल खसरा नं.901, 902, 903, 904, 905 किता 5 रकबा 0.53 है बनी है जिसमे वादीगण को 0.08 है. रकबा कमी हुई है जिसकी पूर्ति की जाये। पत्रावली का अवलोकन किया गया पत्रावली में संलग्न गत जमाबन्दी सम्वत 2033–36 की खाता संख्या 44 पर अंकित साबिक खसरा नं. 377 380 390 किता 3 रकबा 10 बीघा 4 विस्बा के हाल खसरा नं. 1380 लगायत 1386,1331,901 लगायत 905 कुल किता 13 रकबा 2.59 है. बनी है जो गत के मुकाबले 0.04 है. वेशी रकबा हाल भू.प्रबंध रिकॉर्ड है इसलिए उक्त साबिक खसरा नं. 380 रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा में 0.08 है. भूमि कमी रकबा दावा मूल ही खारिज योग्य है।

वकील वादीगण ने दस्तावेजी सबूत में नकल जमाबन्दी सं0 2064–67 प्रदर्श–1, नकल नक्शा ट्रेस साबिक खसरा नम्बरान प्रदर्श–2, नकल मिलान

क्षेत्रफल प्रदर्श–3, नकल जमाबन्दी सम्बत 2033–2039 प्रदर्श–4, पेश किये हैं तथा जुवानी सहादत में वादीगण की ओर से दुलारी पत्नि भीमसिंह , रामसिंह पुत्र बुधराम के शपथ पत्र पेश किये हैं तथा फूसियाराम पुत्र हटीला का शपथ पत्र पेश कर बयान दर्ज कराये हैं।

इसके विपरित प्रतिवादीगण ने कोई दस्ताबेजी सबूत प्रस्तुत नहीं किये। दिनांक 13.01.2026 को प्रतिवादी सं0 2 व उनके अधिवक्ता बार–बार आवाज दिलाने के उपरान्त उपस्थित नहीं हुए। इसलिए प्रतिवादी नं0 2 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। दिनांक 20.01.2026 को प्रतिवादी सं01 की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ इसलिए प्रतिवादी सं01 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करने के आदेश दिये गये।

वकील वादीगण उपस्थित। वकील वादीगण की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वकील वादीगण ने दौराने बहस वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और वादीगण का दावा डिक्री किये जाने का निवेदन किया है।

वकील वादीगण की एकपक्षीय बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। वादीगण की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत नकल जमाबन्दी प्रदर्श–2 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 905 रकबा 0.43 है0 वाके ग्राम आरेनिया का पुरा तहसील हिण्डौन की खातेदारी फूलवती पत्नि हरिसिंह हि0 1/2, भीम पुत्र हटीला हि0 1/2 जाति जाटव सा0 देह खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है तथा इसी जमाबन्दी पर अंकित नोट नामान्तकरण स0 506 –विरासत – 31.12.2007 से मृतक भीम हि0 1/2 के स्थान पर उदयसिंह राजवीर विक्रम बच्चूसिंह पि0 भीम आशा पुत्री भीम दुलारी बेबा भीम हि0 1/2 के नाम स्वीकार हुआ दर्ज रिकार्ड है। तथा खसरा नम्बर 901 रकबा 0.02 है0, 902 रकबा 0.02 है0, 903 रकबा 0.03 है0, 904 रकबा 0.03 है0, 1380 रकबा 0.24 है0, 1381 रकबा 0.25 है0, 1382 रकबा 0.21 है0, 1383 रकबा 0.01 है0, 1384 रकबा 0.29 है0, 1385 रकबा 0.29 है0, 1386 रकबा 0.29 है0 कुल किता 11 कुल रकबा 1.68 है0 वाके ग्राम आरेनिया का पुरा तहसील हिण्डौन की खातेदारी फूसिया भीम पि0 हटीला जाति चमार सा0देह खातेदार

आरेनिया का पुरा के नाम दर्ज रिकार्ड है तथा इसी जमाबन्दी पर अंकित नोट नामान्तकरण स0 506 –विरासत – 31.12.2007 से मृतक भीम हि0 1/2 के स्थान पर उदयसिंह राजवीर विक्रम बच्चूसिंह पि0 भीम आशा पुत्री भीम दुलारी बेबा भीम हि0 1/2 के नाम स्वीकार हुआ दर्ज रिकार्ड है।

नकल मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श 4 के अनुसार दौराने सेटिलमेन्ट साबिक खसरा नम्बरान से कायम किये गये नवीन खसरा नम्बरान निम्नानुसार हैं।

साबिक खसरा नं0	रकबा	हाल खसरा नं0	रकबा हैक्टेयर में
380 मिन	2 बीघा 9 बिस्वा	901	0.02
		902	0.02
		903	0.03
		904	0.03
		905	0.43

नकल जमाबन्दी सम्बत 2033–2039 प्रदर्श–4 के अनुसार साबिक खसरा नम्बर 377 रकबा 5 बीघा 15 बिस्वा, 380 रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा, 390 रकबा 2 बीघा कुल किता 10 कुल रकबा 10 बीघा 4 बिस्वा वाके ग्राम जटनंगला तहसील हिण्डौन की खातेदारी टुंडा पुत्र घूडे जाति चमार निवासी ग्राम के नाम दर्ज रिकार्ड है तथा इसी जमाबन्दी पर अंकित नोट नामान्तकरण सं0 320 के द्वारा टुण्डा के बजाय फूसिया व भीम पि0 हटीला जाति जाटव के नाम स्वीकार हुआ दर्ज रिकार्ड है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर एवं तहसीलदार हिण्डौन से प्राप्त जबावदावा के अनुसार गत जमाबन्दी सम्वत 2033–36 की खाता संख्या 44 पर अंकित साबिक खसरा नं. 377 380 390 किता 3 रकबा 10 बीघा 4 विस्बा के हाल खसरा नं. 1380 लगायत 1386,1331,901 लगायत 905 कुल किता 13 रकबा 2.59 है. बनी है जो गत के मुकाबले 0.04 है. वेशी रकबा हाल भू.प्रबंध रिकॉर्ड है इसलिए उक्त साबिक खसरा नं. 380 रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा में 0.08 है. भूमि कमी रकबा दावा मूल ही खारिज योग्य है। वादीगण के द्वारा साबिक खसरा नं. 377 380 390 किता 3 रकबा 10 बीघा 4 विस्बा का सम्पूर्ण मिलान क्षेत्रफल पेश

नहीं किया गया है और ना ही सेटिलमेन्ट के बाद की जमाबन्दी की नकल पेश की गई है। तहसीलदार हिण्डौन से प्राप्त जबावदावा के अनुसार वादीगण की खातेदारी में वर्तमान में रकबा 0.04 है0 बेशी दर्ज रिकार्ड है। वादीगण के द्वारा हाल खसरा नम्बर 1331 की जमाबन्दी भी पेश नहीं की गई है। इस प्रकार वादीगण का दावा पर्याप्त दस्तावेजी सबूत के अभाव में खारिज योग्य न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः दावा वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण बाबत् इन्द्राज दुरूस्ती एवं घोषणा खातेदारी व तकास्मा विवादित आराजी साबिक खसरा नम्बर 377 रकबा 5 बीघा 15 बिस्वा, 380 रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा, 390 रकबा 2 बीघा कुल किता 10 कुल रकबा 10 बीघा 4 बिस्वा वाके ग्राम जटनंगला तहसील हिण्डौन हाल खसरा नम्बर 901 रकबा 0.02 है0, 902 रकबा 0.02 है0, 903 रकबा 0.03 है0, 904 रकबा 0.03 है0, 905 रकबा 0.43 है0, 1380 रकबा 0.24 है0, 1381 रकबा 0.25 है0, 1382 रकबा 0.21 है0, 1383 रकबा 0.01 है0, 1384 रकबा 0.29 है0, 1385 रकबा 0.29 है0, 1386 रकबा 0.29 है0 वाके ग्राम आरेनिया का पुरा तहसील हिण्डौन खारिज किया जाता है। उपरोक्तानुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैंसल सुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 24.02.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हेमराज गुर्जर) 24/2/26
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ0 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम –हिण्डौन जिला करौली

इजलास हेमराज गुर्जर, R.A.S.

उनवान

1.	फूसिया पुत्र हटीला	जाति जाटव निवासी आरेनी का पुरा
2.	उदयसिंह पुत्र भीम	
3.	राजवीर पुत्र भीम	
4.	विक्रम पुत्र भीम	तन जटनंगला तहसील हिण्डौन
5.	बच्चूसिंह पुत्र भीम	
6.	आशा पुत्री भीम	
7.	दुलारी बेवा पत्नि भीम	जिला करौली राजस्थान —— वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील हिण्डौन सिटी
2. फूलवती पत्नि हरिसिंह जाति जाटव निवासी आरेनी का पुरा तन जटनंगला तहसील हिण्डौन सिटी जिला करौली ———— प्रतिवादीगण

दावा बाबत् इन्द्राज दुरूस्ती, एवं घोषणा खातेदारी व तकास्मा मुकदमा नं0 154/2009

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे हाजिरी श्री शान्तिलाल करसौलिया एडवोकेट मिन कानिव मुदई रूबरू अशोक नीमनका मिन जानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि दावा वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण बाबत् इन्द्राज दुरूस्ती एवं घोषणा खातेदारी व तकास्मा विवादित आराजी साबिक खसरा नम्बर 377 रकबा 5 बीघा 15 बिस्वा, 380 रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा, 390 रकबा 2 बीघा कुल किता 10 कुल रकबा 10 बीघा 4 बिस्वा वाके ग्राम जटनंगला तहसील हिण्डौन हाल खसरा नम्बर 901 रकबा 0.02 है0, 902 रकबा 0.02 है0, 903 रकबा 0.03 है0, 904 रकबा 0.03 है0, 905 रकबा 0.43 है0, 1380 रकबा 0.24 है0, 1381 रकबा 0.25 है0, 1382 रकबा

0.21 है0, 1383 रकबा 0.01 है0, 1384 रकबा 0.29 है0, 1385 रकबा 0.29 है0, 1386 रकबा 0.29 है0 वाके ग्राम आरेनिया का पुरा तहसील हिण्डौन खारिज किया जाता है।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 24.02.2026 को यह डिक्री जारी की गई।

(हेमराज गुर्जर) 24/2/26
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली